न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर

प्रार्थनापत्र स0187/17

सुरेन्द्रपालसिह आयु 38 पुत्र श्री बेतालसिह जाति ठाकुर निवासी महलपुचूरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर

प्रार्थी

बनाम

महावीरसिह पुत्र हरीसिह जाति ठाकुर निवासी महलपुरचूरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर

अप्रार्थी

पीठासीन अधिकारी :– श्री पी0आर0मीना आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी रूपवास

उपस्थित

1– श्री सुरेन्द्रसिह परमार अभिभाषक प्रार्थी

2– श्री अभिभाषक अप्राथी

निर्णय दिनांक 5/2/18

सक्षेपतः प्रार्थनापत्र के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगणा ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा,212 आरटीए के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है। कि उक्त विवादित आराजी खसरान0 1057/363 रकवा 2–02 बीघा बाके ग्राम महलपुरचूरा तहसील रूपवास में स्थित है । जिसमें प्रार्थी का 4/5 भाग व अप्रार्थी 1/5 भाग का खातेदार एव काबिज आराजी है । उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी कय दिनांक से ही मनवट के आधार पर कब्जा काश्त है । लेकिन उक्त विवादित आराजी का प्राथ्री व अप्रार्थी क मध्य वैधानिक रूप से आज तक वाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन नही हुआ है । प्रार्थी व अप्रार्थी मनवट के आधार पर ही कब्ज काश्त कर रहे है अप्रार्थी बहुत चतुर चालाक किस्म का व्यक्ति है । प्रार्थी की आराजी में जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करने पर तुला हुआ है । दिनांक 2.7.17 को प्रार्थी अपने कब्जे की आराजी को जोतने बोने गया तो अप्रार्थी वहॉ मौके पर मिला और कहा कि तुम्हारे हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करूगा और किसी अन्य व्यक्ति को रहन व्यय मुन्तकिल कर दूगा । यदि अप्रार्थीगण अपने उपरोक्त धमकी में कामयाब हो गया तो प्रार्थी गो अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई पैसो से नही की जा सकती है । अतः अप्रार्थीगण को अस्थाइ निषेधाज्ञा से पावन्द कराया जाना आवश्यक हो गया है । प्राइमाफेसी केस सुबिधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है । अतः प्रार्थना हे कि प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमायाजाकर अप्रार्थी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाकर कि आराजी खसरा न0 1057/363/2–02 बीघा बाके ग्राम महलपुरचूरा में स्थित है प्रार्थी के हिस्सा आराजी में किसी प्रकार का कब्जा न करे स्वतन्त्र उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे । मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे ।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 की ओर से उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र की मद स0 1 अस्वीकार है । मद स0 2 स्वीकार है मद स0 3,4 जिस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

से वर्णित की गई है वह स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे ।

बहस सुनी गई ।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र इस आशय से स्वीकार किये जाने योग्य है वादी राजस्व रिकार्डग में 4/5 भाग का खातेदार काश्तकार एव काबिज आराजी है । अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि दावे के निर्णय तक उक्त विवादित आराजी ख ासरा न01057/363/2–02 बीघा बाके ग्राम महलपुरचूरा तहसील रूपवास में वादी के 4/5 भाग तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/2/18

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)